

उनवान:- राजेश बनाम श्रीकिशन बगौ
दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक	फर्द अहकाम	
03.11.2025	<p>वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने दावा बावत घोषणा खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 22.12.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">(अमन चौधरी) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला करौली</p>	<p>4849-62 06/11/25</p>
22.12.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उषा प्रतिवादी न 1 की ओर से श्री हरेश प्रशम ए. ने कानूननाम पेश किया जो शामिल पत्रावली तथा प्रतिवादी न 9, 10, 11, 12, 13 के तलबी नोटिस एवं लेटर के अन्तर्गत दावा एवं तलबी के अन्तर्गत उचित उपाय लिये जा रहे हैं। उक्त के अन्तर्गत उचित उपाय लिये जा रहे हैं। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22.01.26 को पेश हो</p>	<p>22.1.26</p>
22.1.26	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील उषा एवं पत्रावली तथा प्रतिवादी न 2, 3, 8, 11 के तलबी नोटिस एवं लेटर एवं परिवार एवं के अन्तर्गत उचित उपाय लिये जा रहे हैं। उक्त के अन्तर्गत उचित उपाय लिये जा रहे हैं। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.2.26 को पेश हो।</p>	<p>18/2/26</p> <p style="text-align: center;">DD</p>

